न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 71/2016
प्रकरण दर्ज तिथि :— 17.08.2016
जीसीएमएस नम्बर :— 2016/00118

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जितेन्द्रसिंह पुत्र जगदीशसिंह कौम रावणा राजपुत निवासी धोलीधेड़ तह. रायपुर,		1. खेताराम पुत्र देवाराम 2. नोरतराम पुत्र देवाराम 3. हरीराम पुत्र मुलाराम 4. बाबुलाल पुत्र शेषाराम 5. पांचुराम पुत्र शेषाराम 6. नाथुराम पुत्र शेषाराम 7. तहसीलदार रायपुर,

दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री भवानी सिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी
2 प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 की ओर से भागीरथ तेली

निर्णय **दिनांकः22.04.2025**

वादी की ओर से वकील श्री भवानी सिंह सोलंकी द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा बर पटवार हल्का बर के खाता संख्या 442 नया 369 पुराना में दर्ज खसरा नंबर 736 रकबा 03 बिघा 05 बिस्वा किश्म बारानी अव्वल उपरोक्त वर्णित आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सबोधित किया जायेगा, तथा वादपत्र के साथ जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 पेश की जा रही हैं जिसे वाद वाद पत्र का आवश्यक भाग पढ़ा जावें। वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी पर वादीगण की खरीदशुद्वा व प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 7 की पैतृक कृषि भूमि हैं जिसमें वादी ने मिसरीलाल पुत्र सेसाराम से उनका 1/6 बंट खरीद किया हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 3 का शामलात में 1/6 हिस्सा बनता हैं, तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 4 से लगायत 7 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा बनता हैं इसी अनुसार हम वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7 मौके पर काबिज हैं व कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। बैचानकर्ता मिसरीलाल पुत्र सेसाराम व प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7 ने उपरोक्त पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का कई वर्षो पूर्व आपसी सहमति से मौके पर मौखिक बंटवाड़ा कर लिया उसी अनुसार वादी को मौके पर कब्जा दिया गया जिसकी नजरी नक्शा वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जिसमें वादी के हिस्से को लाल रंग व प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 का हिस्सा हरा रंग से प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा पिले रंग से प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा नीले रंग से प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा भुरे रंग से प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा आसमानी रंग से दर्शाया गया हैं तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 7 मौके पर कब्जा काश्त करते आ रहे है। वादी द्वारा कई मर्तबा प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 7 से निवेदन किया कि वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित आराजी पूर्व में हुएआपसी सहमति से मौके पर मौखित बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में बटवाड़ा करवा लेवें लेकिन वादी के बार बार बंटवाड़ा करने की बात कहने पर भी प्रतिवादीगण ने इस और आज दित तक ध्यान नही दिया। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 7 ने वादी के उक्त निवेदन को साफ नका दिया इस कारण वादीगण को उपरोक्त वादपत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। वादी के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 7 के विरूद्व बंटवाडे की डिकी इस आशय की फरमावें कि वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के वादी व प्रतिवादीगण 1 से लगायत 7 को वाद पत्र पैरा संख्या 2 व पैरा संख्या 3 में वर्णित हिस्से व नजरी नक्शें अनुसार बंटवाड़ा करने के आदेश फरमावें तथा मौके पर इसी अनुरूप अलग अलग हिस्सा किया जाकर पक्षकारान को उनके हिस्से में आयी आराजीयात पर काबिज करवाया जावें एंव अलग अलग पाल डोल कायम की जावें तथा अलग

गुलाब सिंह
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

अलग तय किया जावें तथा इसी अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में अलग अलग अंकन करवाया जाकर अलग अलग खाता कायम किया जावें तथा राजस्व रेकर्ड में भी इसी अनुसार आवश्यक इन्द्राज करवाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04, 07 के सम्मन तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहे है इन्हे पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 की और से वकील श्री भागीरथ तेली नें वकालातनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। वकील वादी एंव प्रतिवादी मौके पर कब्जा काश्त रेकर्ड के अनुसार बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाऊण्ड़स करने की प्रार्थना करते है। वकील प्रतिवादी द्वारा दिनांक 30.03.2017 को जवाब मय काऊण्टर वाद पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। वकुलाय उभय पक्षीय द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों पर बहस सुनी। वकील प्रतिवादी द्वारा पेश जवाब दावा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शें अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करनें के प्राथमिक डिक्री आदेश जारी किये गये।

प्राथमिक डिक्री के आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर के पत्र कमांक/कोर्ट/2024/247 दिनांक 29.01.2021 द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा प्राप्त हुआ हैं।जो संलग्न पत्रावली किया गया।

वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने में अपनी सहमति प्रदान की हैं। बंटवाडा प्रस्ताव पर बहस समायत की गई। उभयपक्ष बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के मनन व अवलोकन के पश्चात् उक्त वादपत्र में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा बर पटवार हल्का बर के खसरा नंबर 736 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिक्री पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

गुलाब सिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

अंतिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर
बईजलास :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

1. जितेन्द्रसिंह पुत्र जगदीशसिंह कौम रावणा राजपुत निवासी धोलीधेड़ तह. रायपुर,	1. खेताराम पुत्र देवाराम 2. नोरतराम पुत्र देवाराम 3. हरीराम पुत्र मुलाराम 4. बाबुलाल पुत्र शेषाराम 5. पांचुराम पुत्र शेषाराम 6. नाथुराम पुत्र शेषाराम 7. तहसीलदार रायपुर,

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राज. टि.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री भवानी सिंह सोलंकी वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण श्री भागीरथ तैली मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः उक्त वादपत्र में सरहद मौजा बर पटवार हल्का बर के खसरा नंबर 736 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिक्री पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

नीज...................... ....मुबलिक............... ....बाबत्............ .... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....को अदा करे।
बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.04.2025 को जारी किया गया।

गुलाब सिंह
(गुलाब सिंह वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा –	02	00	स्टाम्प वकालतनामा –	02	00
स्टाम्प वकालतनामा –	04	00	स्टाम्प हाजरी –		
स्टाम्प वजह सबूत –	00	00	मेहनताना वकील पर –		
मेहनताना वकील –			खर्चा गवाहान –		
खर्चा गवाहान –			फीस कमि नर –		
फीस कमि नर –			बाबत इजराय हुक्मनामा –	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा –	6	00	मुतफरिक –		
मुतफरिक –	12	00	मीजान	02	00
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।